फर्द अहकाम

(नियम 26)

नाम अदालत अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर मुकाम अलवर

उनवान जोगेन्द्र बनाम मलकीत सिंह

किस्म मुकदमा प्रार्थना पत्र नम्बर 17 / 33 / 2017

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
04-04-18	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित, वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गयी। वक्त बहस प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि माननीय न्यायालय द्वारा उनवानी अपील दिनांक 26.05.2016 को अदम हाजरी व अदम पैरवी खारिज कर दी गई। उक्त अपील प्रार्थीया के पिता स्व0 श्री जोगेन्द्र सिंह द्वारा पेश की गई थी। अपील प्रस्तुत करने के कुछ दिन पश्चात् प्रार्थीया के पिता की तबीयत खराब रहने लगी तथा दिनांक 09.08.2016 को उनका निधन हो गया था, तथा प्रार्थीया को उक्त मुकदमें की जानकारी नही थी, इसलिए ना तो मेरे पिता अधिवक्ता से सम्पर्क करा पाए ना अधिवक्ता को अपनी बिमारी की जानकारी दे पाए। जिस कारण उक्त अपील को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज फरमा दिया गया। प्रार्थीया को उक्त अपील की जानकारी कुछ समय पूर्व ही हुई थी, तो प्रार्थीया ने अलवर आकर अपील के संबंध में जांच की तो मालूम चला कि प्रार्थीया के पिता द्वारा पेश की गई अपील अदम हाजरी अदम पैरवी में दिनांक 26.05.2016 को खारिज फरमा दी गई। इसके पश्चात् प्रार्थीया ने नकल के लिए आवेदन किया जो नकल दिनांक 30.10.2017 को प्राप्त हुई। प्रार्थीया द्वारा बिना देरी के प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थीया के पिता द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज रहने से प्रार्थीया को हक व हकूक जायल होते है, इसलिए न्यायहित में पिता द्वारा प्रस्तुत अपील को पुनः नम्बर पर लिया जाकर आगामी	

अति. जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर

कार्यवाही की जावे। प्रार्थीया के पिता के सभी वारिसो ने वाद लडने हेतु प्रार्थीया के हक में अपना हक त्याग कर दिया है। जिस कारण प्रार्थीया द्वारा पुनः नम्बर का प्रार्थना पत्र पेश किया है।

वकील अप्रार्थी द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया कि मूल अपील दिनांक 26.05.2016 को अदम हाजरी अदम पैरवी में खारिज हो चुकि थी तथा अपीलान्ट का निधन 09.08.2016 को हुआ था। उक्त अवधि के बीच अपीलान्ट द्वारा अपील पुनः नम्बर पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र लगाना चाहिए था। चूंकि प्रार्थनी मूल अपील में पक्षकार नही थी इसलिए प्रार्थनी को पुनः नम्बर का प्रार्थना पत्र लगाने का कोई अधिकार नही है। अप्रार्थी वकील द्वारा अपनी बहस के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 13.07.2016 की नजीर पेश की गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत पुनः नम्बर प्रार्थना पत्र से स्पष्ट है कि दिनांक 26.05.2016 को मूल अपील खारिज होने से पहले मूल अपीलान्ट बीमार था तथा अपील खारिज होने के पश्चात् उसका निधन हो गया। प्रार्थीया जो मूल अपीलान्ट की पुत्री है। जो विवाहित होने के बाद फरीदाबाद (हरियाणा) में रहती है। जिसे उक्त प्रकरण की सूचना नही होने के कारण समय पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नही कर सकी। प्रार्थनी मृतक जोगेन्द्र सिंह की वारिस है जिसे अपने पिता के द्वारा दायर कराई गई अपील में आने का पूर्ण अधिकार है। प्रार्थीनी के उक्त अधिकार से वंचित नही किया जा सकता। अतः प्रार्थना पत्र पर न्यायहित में सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मूल अपील पुनः नम्बर पर लिए जाने के आदेश दिये जाते है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो, तथा संलग्न मूल अपील हो।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
(प्रथम)—अलवर (राज0)

Scanned by CamScanner